न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 30/2016

उनवान

लक्ष्मी बनाम तेजा

रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 114 सी0पी0सी0

–: आदेश :–

दिनांक :– 15.3.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वाद "न्याय आपके द्वार" कैम्प लवेरा में सुनवाई हेतु नियत था। जिसमें प्रार्थी श्रवण पुत्र हमीरा प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार मुर्तिब था। उक्त प्रकरण कैम्प लवेरा में निर्णित कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को कैम्प लवेरा में हुयी। उक्त वाद में हाल खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.11 प्रार्थी की पत्नी नौसर को प्रतिवादी संख्या 1 तेजा पुत्र धूला द्वारा दिनांक 26.05.06 को विक्रय कर कब्जा व दखल सौप दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उक्त आराजी का बैचान जरियें विक्रय पत्र दिनांक 14.12.15 को कर दिया तथा मिथ्या राजीनामा के आधार पर प्रार्थी के पत्नी के विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवा दिया। जिसके आधार पर वादी का वाद दिनांक 15.05.17 को कैम्प लवेरा में डिक्री कर दिया गया जबकि वादी का विक्रय पत्र पश्चातवर्ती होने से शून्य है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णित किया जाना था जो नही किया गया। अतः प्रार्थी का रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लिया जावे।

अप्रार्थी/वादी द्वारा अनेक अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी ने उक्त वाद न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 961/0.08 व 1962/0.11 की आराजी वादी की कयशुदा है। उक्त आराजी दिनांक 14.12.15 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र कय की थी। उक्त आराजी से संबधित प्रतिवादी संख्या 2 के विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय नसीराबाद ने दिनांक 27.05.06 को निरस्त कर दिया है। किन्तु वादी के पक्ष में विक्रय पत्र का नामान्तकरण नही किया गया जिस कारण वादी ने उक्त वाद खातेदारी उद्घोषणा बाबत पेश किया। उक्त वाद विचारण के दौरान वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तर्क करवाया। तथा न्याय आपके द्वार में वादी के पक्ष में डिक्री किया गया। वादग्रस्त आराजी संबधित एक वाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य सिविल न्यायालय में विचाराधीन था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य वर्किंग खसरा नम्बर 753 के पंजीकृत विक्रय पत्र का विवाद था। जिसमें राजीनामा पेश कर विक्रय पत्र को निरस्त किया गया था। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त प्रकरण में कोई हित व अधिकार शेष नही होने से उसका नाम तर्क किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 753 का कुल रकबा 5–5–10 है। कि तेजा पुत्र धूला के नाम खातेदारी दर्ज था। उक्त खसरा नम्बर में से 3–0–0 आराजी का बैचान तेजा पुत्र धूला ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.02.06 को संतोष पत्नी शंकर वगै0 को कर दिया तथा वंर्किग खसरा नम्बर 753 में से 2–5–10 भूमि शेष रही। वंर्किग खसरा नम्बर 753 में से 1–2–05 का विक्रय जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.05.06 को नौसर पत्नी श्रवण को किया गया जिसके पश्चात वादग्रस्त आराजी में 1–03–05 भूमि शेष रही है जिसका बैचान तेजा पुत्र धूला ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.12.15 को वादी को कर दिया है। जिससे स्पष्ट है कि तेजा पुत्र धूला द्वारा तीन विक्रय पत्र द्वारा अलग–अलग व्यक्तियों को भूमि विक्रय की गयी। वादी को किया गया विक्रय अन्य दोनो विक्रय पत्र से प्रभावित नही है। प्रश्नगत वाद में नौसर पत्नी श्रवण पक्षकार नही है ऐसी स्थिति में उसको सुनवाई का अवसर देने का कोई औचित्य नही है वादी के नाम विक्रय पत्र अनुसार आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के बाद भी नौसर पत्नी श्रवण स्वयं के विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में कराने हेतु स्वतंत्र है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 15.5.17 को पारित निर्णय व डिक्री में कोई विधिक भूल नही की है। प्रार्थी/प्रतिवादी प्रकरण में कोई ऐसा तथ्य पेश नही किया है जिससे न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि पायी जाये।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का रिव्यु प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested